

FORM NO III

फर्द अहकाम  
(नियम 28)

30/9  
18/11 24,2

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई

मुकाम अराई (अजमेर)

छोदू पुत्र सुगना जाति जाट उम्र 65 वर्ष निवासी ग्राम भोगादीत तहसील अंराई जिला अजमेर राज0  
वगै. प्रार्थी

बनाम

2 नन्दलाल पुत्र श्री रामनाथ जाति जाट निवासी ग्राम खेड़ानोनन्दपुरा तहसील अंराई जिला अजमेर  
राज0 वगै. अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा- 212 राज0 काश्तकारी अधि0

नंबर 07/2021

ऑनलाइन नंबर 2021/9.....

वकील प्रार्थीगण श्रीभवानी सिंह जी

वकील अप्रार्थीगण .....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
10.02.2021	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से वकील भवानी सिंह जी ने अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया, वकील प्रार्थीगण को सुना गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 16.02.2021 को पेश हो।  उपखण्ड अधिकारी अंराई (अजमेर)	
16/2/2021	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। पूर्व अडिस्ट्रानुम वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पत्रावली दिनांक 04/3/2021 को पेश हो। Naudh	
04/3/2021	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। अप्रार्थी 1 लगायत 8 के तालिकशुदा नोटि शामिल मिलल। अप्रार्थी 1। लगायत 8 तबय उप. होट अवतव हेतु सम्मन-चाहा। वास्ते अवतव अप्रार्थीगण पत्रावली दिनांक 04/4/2021 को पेश हो।  उपखण्ड अधिकारी अंराई (अजमेर)	गुमानमल प/ट शहावीर जोकरा गोपी गोरखलाल अ. 21/4/2021

दौड़ vs नन्दलाल 2021/9; 7/2021

पत्रावली पेश हुई। कमील परकारण उप। 1

पत्रावली दिनांक

को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी  
अररई

21/11/2021

पत्रावली पेश हुई। कमील परकारण उप।

करीब 3 मिनट की बहस हुई। पत्रावली को

खिलाफत किया गया। पत्रावली पत्र का धारा 212 रिफर  
के तीन बिन्दुओं के अनुसार विवेचन किया गया।

पत्रावली पेश करने पर धारा 212 का ध्यान रखते हुए पत्रावली को  
निरस्त किया है। धारा 212 के अन्तर्गत पत्रावली के पत्र में है।

सुविधा का संतुलन का ध्यान रखते हुए पत्रावली के अन्तर्गत  
अधिकार के अनुसार कपन हिस्से पर काबिज है। धारा 212 के अन्तर्गत  
अपूरणीय कृषि का ध्यान रखते हुए पत्रावली के अन्तर्गत

पाकड़ नहीं किया गया है। धारा 212 के अन्तर्गत धारा 212 के अन्तर्गत  
रिफर व नोट में परिवर्तन का ध्यान रखते हुए पत्रावली के अन्तर्गत  
पत्रावली को निरस्त है। धारा 212 के अन्तर्गत विवेचन के अन्तर्गत  
पर किये गए हैं। धारा 212 के अन्तर्गत धारा 212 के अन्तर्गत

निर्णय कर 5 मिनट की अवधि में विवेचन से पाकड़  
किया जाता है कि ग्राम को गरीब तहसील के अन्तर्गत

643/2 खसत 1.6180 में पत्रावली के अन्तर्गत धारा 212 के अन्तर्गत  
उत्पन्न नहीं कर, पत्रावली के अन्तर्गत धारा 212 के अन्तर्गत  
को तलाक़ के अन्तर्गत धारा 212 के अन्तर्गत धारा 212 के अन्तर्गत  
अन्तर्गत धारा 212 के अन्तर्गत धारा 212 के अन्तर्गत धारा 212 के अन्तर्गत  
दिनांक 21/11/2021 को अन्तर्गत धारा 212 के अन्तर्गत धारा 212 के अन्तर्गत  
अन्तर्गत धारा 212 के अन्तर्गत धारा 212 के अन्तर्गत धारा 212 के अन्तर्गत

पत्रावली